प्रतिवादीगण राजमल व अन्य के विरूद्ध बाबत बेदखली मकान एवं स्थाई निषेधाज्ञा का **वर्ष 2015** में पेश किया गया है। प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी लेखबद्ध किया जाना शेष है यद्यपि उक्त दस्तावेजात विलंब से पेश किये गये हैं परन्तु उल्लेखित दस्तावेजात प्रकरण में आवश्यक एवं सुसंगत प्रतीत होते है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना में पक्षकार को अभिवचन/साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। अतः हस्तगत प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 1000/– रूपये कॉस्ट पर, स्वीकार किया जाता है। **प्रकरण माननीय राज. उच्च न्यायालय के शीघ्र निस्तारण के निर्देशों वाली लक्षित पत्रावली सं. 16 है।**

पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी हेतु दिनांक 18.07.2025को पेश हो।

[signature]

अपर जिला न्यायाधीश
मेड़ता

18/7/2025

अन्य पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। जवाब प्रार्थना-पत्र पेश नहीं हुआ। प्रकरण का शीघ्र निस्तारण के निर्देश की पत्रावली है। जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र O26 R9 CPC हेतु दिनांक 19/7/2025 को पेश हो।

[signature]

अपर जिला न्यायाधीश
मेड़ता